न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह आर.ए.एस
अपील संख्या 137/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/ 150)
अनवान लक्ष्मीराम बनाम स्टेट, ओमप्रकाश

अपील विरूद्ध आदेश– अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ अपील संख्या 08/2020 दिनांक 27.08.2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
01.01.2026	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक ने दिनांक 15.10.2025 को प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपील इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने इसका औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार संगरिया द्वारा कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के तहत दिनांक 24.07.2020 को अपीलान्ट लक्ष्मीराम के विरूद्व बेदखली एवं तावान कायम का आदेश पारित किया था। अतिक्रमी मानते हुए धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत निर्णय किया था। कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र द्वारा पारित आदेश के विरूद्व निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर या संभागीय आयुक्त के समक्ष या राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील होगी। मगर अपीलान्ट लक्ष्मीराम ने कलक्टर के आदेश दिनांक 24.07.2020 के विरूद्व प्रथम अपील अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ के समक्ष पेश की जो क्षेत्राधिकार से बाहर थी तथा अपील खारिज हुई। द्वितीय अपील तहसीलदार बतौर कलेक्टर एवं अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व संभागीय आयुक्त को द्वितीय अपील लाई नही होती है। धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत पारित किये गये निर्णय के विरूद्व द्वितीय अपील का प्रावधान नही है। अतः उक्त द्वितीय अपील मेन्टेनबल नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2002 पेज 330, RRD 2006 पेज 532, RRD 1991 पेज 564–565, RRD 1991 पेज 81, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.08.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसको सुनने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश से इस अपील में उसको सुने जाने का आदेश दिया है उक्त आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौति दी गई है जो अभि विचाराधीन है। हमने प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.07.2020 के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। ....लगातार................... अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	रिपोर्ट ओरडर 39-40 2.1.26

तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील पेश की गई है। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 की अपील का निर्णय दिनांक 27.08.2021 को पारित कर दिया है। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय 27.08.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 से संबधित है। अतः उक्त अपील का न्यायालय हाजा में क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट संक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वंतत्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर